राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

होशियार बनाम छंगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/02/2026	319/2024	

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व हुक्म इम्तनाही दवामी मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/09/2022 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र-धारा 5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश पारित करते हुये एवं तत्पश्चात व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण नही किया गया है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय आदेश पारित होने के उपरान्त अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 मय धारा 151 सीपीसी इत्यादि के माध्यम से चाराजोही किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कोई युक्तियुक्त आदेश पारित नही किया गया, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होने से प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/09/2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान 30 दिवस में युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |